

महानिरीक्षक मुख्यालय विशेष(संक्रिया) सीमा सुरक्षा बल, छत्तीसगढ़
Headquarters Inspector General, Spl(Ops), Border Security Force, Chhattisgarh
(स्थापना-भर्ती अनुभाग)
(Estt-Recruitment Section)

बी.एस.पी.उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर
 एस.बी.आई मरोदा-उतई शाखा के विपरीत
 रिसाली सेक्टर(भिलाई)
 जिला-दुर्ग(छत्तीसगढ़)

BSP HS School Building,
 Opp SBI Maroda-Utai Br
 Risali Sector (Bhilai)
 Distt-Durg(C.G)-490006

यह सूचित किया जाता है निम्नलिखित अभ्यर्थी दिनांक 04 जून 2018 से आरक्षक (ट्रेडसमैन) भर्ती के लिए किए गये मैडिकल चिकित्सा परीक्षण में अनफिट घोषित हुए थे, और उनकी पुनः चिकित्सा परीक्षण के लिए अपील/दस्तावेज इस मुख्यालय को प्राप्त होने पर, उन अभ्यर्थियों का पुनः चिकित्सा परीक्षण दिनांक 20.08.2018 से निम्नलिखित स्थान पर पर किया जाएगा:-

Composite Hospital,
 Border Security Force,
 Jodhpur, Mandore Road,
 Distt – Jodhpur (Rajasthan)
 Pin – 342026

कम्पोजिट हॉस्पिटल सीमा सुरक्षा बल जोधपुर,
 मंडोर रोड, जिला – जोधपुर
 (राजस्थान) – 342026

S/N	ROLL NO.	POST APPLIED	NAME	FATHER'S NAME	DATE OF RME	REPORTING TIME AT CENTRE
1.	1707000005	CT/COOK	HARI SHANKAR SAHU	NAROTTAM PRASAD	20-08-18	0830 HRS
2.	1707000050	CT/WAITER	LOKESH KUMAR	GOVIND RAM	20-08-18	0830 HRS
3.	1707000057	CT/SWPR	GAJENDRA KUMAR	DHAN SINGH	20-08-18	0830 HRS
4.	1707000078	CT/BB	NARESH KR SHRIWAS	FIRATRAM SHRIWAS	20-08-18	0830 HRS

2. यदि किसी अभ्यर्थी को बुलावा पत्र समय पर प्राप्त नहीं होता है तो वो इस पत्र को इन्टरनेट से प्राप्त कर सकते हैं और इस पत्र के साथ पुनः चिकित्सा परीक्षण हेतु निर्धारित स्थान पर दिनांक 20.08.2018 को निम्नलिखित कागजातों के साथ उपस्थित हो सकते हैं तथा मांगे जाने पर वह इस पत्र को पीठासीन अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

- इस पत्र की मूल प्रति / **Copy of this call letter in original.**
- आपकी पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ / **Your recent 02 passport size photograph**
- समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति / **Original copy of all the educational certificate.**

3. अभ्यर्थी द्वारा की गई यात्रा के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता नहीं दिया जायेगा। यदि अभ्यर्थी बताई गई तिथी व समय पर उपरोक्त स्थान पर चिकित्सा परीक्षण हेतु रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उसके लिये वे (अभ्यर्थी) स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा इस संबंध में किसी भी अनुवर्ती पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा और उनकी अभ्यर्थिता स्वयं ही रद्द समझी जाएगी।

हस्ताक्षर 23/07/2018

(सुबोध कुमार)

सहा.कमांडेंट (प्रशासन/भर्ती)

वास्ते महानिरीक्षक

स्पेशल ऑप्स सीसुबल छत्तीसगढ़